न्यायालय् सिविल जज (जू0 / डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या–82 / 2019

दिनांक–30.03.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली में आज की तिथि वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 21क2 नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 21क2

प्रार्थीगण केदारनाथ व श्रीमती रनुवा द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 21क2 दाखिल कर कथन किया गया है कि उक्त वाद के वादी सं0 1 लक्ष्मणप्रसाद पुत्र मइयादीन की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गयी है, जिससे वादी सं0 1 के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि वादी सं0 1 लक्ष्मणप्रसाद की मृत्यु दौरान मुकदमा हो चुकी है तथा उसके विधिक वारिसानों को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर मृतक लक्ष्मणप्रसाद के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का संशोधन करना मात्र एक औपचारिक प्रकृति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 21क2 स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 21क2 स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण वादपत्र 4क1 में वांछित संशोधन अन्दर पन्द्रह दिवस करें। बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 01.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा ।